दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 04-07-2025

मोबाइल पर आपत्तिजनक पोस्ट, अग्रिम जमानत नहीं

बिलासपुर| सोशल मीडिया पर कथित अश्लील वीडियो और फोटो अपलोड करने के मामले में आरोपी मो. इमरान खान को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मोबाइल नंबर आरोपी के नाम पर है, इसलिए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। सिविल लाइन थाना में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(बी) और मीडिया एक्ट की धारा 14 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई साइबर टिप के आधार पर की गई, जिसमें 6 अगस्त 2022 को आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने की जानकारी दी गई थी। गिरफ्तारी से बचने आरोपी ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी और दलील दी थी कि उसने मैसेज फॉरवर्ड किया था और मोबाइल पहले ही बेच दिया था।